



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य वित्त

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन

Hkkj r ds
fu; æd&egkys[kki j h{kd dk i fronu
jkT; foYk
31 ekoj 2015 dksI eklr o"kl dsfy,

jk"Vh; jkt/kkuh {ks= fnYyh I j dkj
o"kl 2016 dk i fronu

fo ["] k; l ph		
i kDdFku fogkoykdu	i § kxtkQ	i "B v vii-ix
<i>v/; k; & 1</i> jkt; l jdkj ds fo ^Y k		
प्रस्तावना	1.1	1
चालू वर्ष के राजकोषीय लेने-देनों का सारांश	1.2	1
बजट अनुमान व वास्तविकता	1.3	3
राज्य के संसाधन	1.4	3
राजस्व प्राप्तियाँ	1.5	4
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	7
व्यय की गुणवत्ता	1.7	10
सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	12
परिसम्पत्तियाँ व देयताएँ	1.9	14
ऋण धारणीयता	1.10	15
राजकोषीय असंतुलन	1.11	16
निष्कर्ष	1.12	19
सिफारिशें	1.13	20
<i>v/; k; &2</i> fo ^U kh; i cdku rFkk ctVh; fu; f.k		
प्रस्तावना	2.1	21
विनियोजन लेखों का सारांश	2.2	21
वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन	2.3	22
व्यय की कमी के कारण समायोजित की गई वसूलियाँ	2.4	28
अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	2.5	29
अनुदान सं. 2 के पुनरीक्षण के निष्कर्ष— सामान्य प्रशासन	2.6	29
निष्कर्ष	2.7	31
सिफारिशें	2.8	31
<i>v/; k; &3</i> fo ^Y kh; fji k ^f Vx		
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	35
निकायों / प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा	3.2	36
दुर्विनियोजन, हानियाँ तथा गबन इत्यादि	3.3	37
व्यक्तिगत जमा खाते	3.4	37
असमायोजित सार आकस्मिक बिल	3.5	37
उचंत शेष	3.6	38
निष्कर्ष	3.7	39
सिफारिशें	3.8	40

<i>Ø-1 a</i>	<i>i f j f' k"V</i>	<i>i "B</i>
1.1	राज्य की रूपरेखा (दिल्ली)	41
1.2	सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट	43
1.3	राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आँकड़े	45
1.4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ	48
1.5	वर्ष 2014–15 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार	49
2.1	₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के अनुदानों की सूची	55
2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त पड़े थे	59
2.3	वर्ष 2014–15 के लिए प्रावधानों से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित है	67
2.4	अधिक/अनावश्यक पूरक प्रावधान	68
2.5	अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)	69
2.6	निधियों के ₹ एक करोड़ से अधिक तथा मूल प्रावधान के 60 प्रतिशत के अभ्यर्पण के मामले	75
2.7	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिसमें बचत हुई परन्तु जिसका कोई अंश अभ्यर्पित नहीं हुआ की विवरणी	78
2.8	₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचत का विवरण जो कि अभ्यर्पित नहीं की गई	78
2.9	अवास्तविक बजटीकरण जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान सीएसएस तथा एससीएसपी योजना के अन्तर्गत अप्रयुक्त रहा	79
2.10	वर्ष 2014–15 के अन्त में व्यय का द्रुतप्रवाह	83
2.11	पूंजीगत शीर्ष के बजाय राजस्व शीर्ष के अंतर्गत गलत वर्गीकरण की सारणी	85
2.12	बचतें जो लौटाई नहीं गई	89
2.13	2012–13 से 2014–15 तक के अनावश्यक पूरक प्रावधान	89
3.1	निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शानेवाली सारणी	90